संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा

अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़, भारत पिन कोड 497001

Tender No. 1780/Estate/Tender/2025 Ambikapur, Dated 22.12.2025
निविदा क्रमांक 1780/एस्टेट/निविदा/2025 अंबिकापुर, दिनांक 22.12.2025

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालयए सरगुजा अम्बिकापुर के विभिन्न परिसर एवं भवनों, कार्यालय में साफ़-सफाई/हाउसकीपिंग कार्य हेतु निविदा

1. निविदा जारी करने की तिथि :- दिनांक 22.12.2025
2. निविदा प्रपत्र एवं आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि :- दिनांक 01.01.2026
3. निविदा प्रपत्र शुल्क आवेदन सहित (वापसी योग्य नहीं) :- INR 5000/-
4. अमानत राशि (बिना ब्याज के वापसी योग्य) :- INR 50,000/-
5. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- दिनांक 21.01.2026 (दोपहर 03:00 बजे तक)
6. निविदा प्रपत्र दस्तावेजो सहित जमा करने की अंतिम तिथि :- दिनांक 21.01.2026 (सायं 04:30 बजे तक)
7. निविदा टेक्निकल बिड खोलने की तिथि :- दिनांक 22.01.2026 (दोपहर 12:00 बजे से)
8. प्राप्त निविदा में से कम से कम तीन निविदा के टेक्नीकल बिड क्वालीफाई होने पर फाइनेंसियल बिड खोलने की तिथि :- दिनांक 22.01.2026 (दोपहर 03:00 बजे से)

Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja

Ambikapur, Distt. - Sarguja, Chhattisgarh, India, Pin code 497001

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा

अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़, भारत पिन कोड 497001

Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja

Ambikapur, Distt. - Sarguja, Chhattisgarh, India, Pin code 497001

निविदा क्रमांक 1780/एस्टेट/निविदा/2025 अंबिकापुर, दिनांक 22.12.2025

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालयए सरगुजा अम्बिकापुर के विभिन्न परिसर एवं भवनों, कार्यालय में साफ़-सफाई/हाउसकीपिंग कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालयए सरगुजा अम्बिकापुर के विभिन्न परिसर एवं भवनों, कार्यालय में साफ़-सफाई/हाउसकीपिंग कार्य हेतु अनुभवी एवं योग्य फर्मों से निर्धारित प्रारूप में (दो बिड प्रणाली के अनुसार) पूर्ण भरे हुए समस्त वांछित दस्तावेजो सहित मुहरबंद निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा प्रपत्र जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है:-

1. **निविदा जारी करने की तिथि** :- दिनांक 22.12.2025
2. **निविदा प्रपत्र एवं आवेदन प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि** :- दिनांक 01.01.2026
3. **निविदा प्रपत्र शुल्क आवेदन सहित (वापसी योग्य नहीं)** :- INR 5000/-
4. **अमानत राशि (बिना ब्याज के वापसी योग्य)** :- INR 50,000/-
5. **निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि** :- दिनांक 21.01.2026 (दोपहर 03:00 बजे तक)
6. **निविदा प्रपत्र दस्तावेजों सहित जमा करने की अंतिम तिथि** :- दिनांक 21.01.2026 (सायं 04:30 बजे तक)
7. **निविदा टेक्निकल बिड खोलने की तिथि** :- दिनांक 22.01.2026 (दोपहर 12:00 बजे से)
8. **प्राप्त निविदा में से कम से कम तीन निविदा के टेक्नीकल बिड क्वालीफाई होने पर फाइनेंसियल बिड खोलने की तिथि** :- दिनांक 22.01.2026 (दोपहर 03:00 बजे से)

(नोट:- प्राप्त निविदा को क्रय समिति/तकनीकीसमिति/निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा. टेक्नीकल बिड एवं फाइनेंसियल बिड खोले जाने के समय निविदाकर्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि प्राधिकार पत्र एवं मूल पहचान पत्र के साथ उपस्थित हो सकते है.)

उपरोक्त निविदा (मूल प्रति में) दिनांक 21.01.2026 (सायं 04:30 बजे) तक बंद लिफाफे में ग्राम – भकुरा, तहसील अम्बिकापुर में स्थित विश्वविद्यालय के नवीन परिसर के ऑडिटोरियम भवन में संचालित प्रशासनिक कार्यालय के संपदा विभाग में स्पीड पोस्ट या विशेष वाहक के माध्यम से जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा संबंधी अधिक जानकारी के लिए नियम, शर्ते एवं निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय के वेबसाईट/पोर्टल **www.sggcg.in** से डाउनलोड कर अवलोकन एवं प्रिंट किया जा सकता है। निविदा के नियम, शर्ते एवं निविदा प्रपत्र आदि में किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त विश्वविद्यालय के वेबसाईट/पोर्टल **www.sggcg.in** में जानकारी दी जाएगी.

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में
साफ़-सफाई/हाउस कीपिंग कार्य हेतु निविदा – टेक्नीकल बिड

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम एवं पता, जिला, राज्य	....
2. PAN Number (पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)	....
3. GST Number (GST पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)	....
4. EPF Number / Employer Code **(EPF पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति** संलग्न करें।)	....
5. ESIC Number/Code **(ESIC पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति** संलग्न करें।)	....
6. लेबर लाईसेंस नंबर एवं वैधता तिथि **(लेबर लाइसेंस संबंधी दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति** संलग्न करें।) **लेबर लाइसेंस निविदा में सफल होने के बाद कार्य आदेश जारी करने और अनुबंध निष्पादित करने के दौरान जमा करना अनिवार्य है.**	....
7. वित्तीय वर्ष 2023-24/2024-25 का सी.ए. सत्यापित कम से कम रू. 25 लाख का वार्षिक टर्नओव्हर प्रमाण-पत्र की प्रति। टर्नओव्हर प्रमाण-पत्र में हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य का उल्लेख होना अनिवार्य है।	....
8. वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 के ITR Acknowledgement की प्रति संलग्न करें	**संलग्न है अथवा नहीं है** .... **वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें** ....
9. फर्म के कार्यालय का पूर्ण पता, पोस्ट, तहसील, जिला, राज्य एवं पिन कोड सहित दूरभाष एवं माबोईल नं.	....
10. पत्राचार हेतु निविदाकर्ता का पूर्ण पता, पोस्ट, तहसील, जिला, राज्य एवं पिन कोड सहित	....

दूरभाष एवं माबोईल नं.	....
11.शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) संबंधी तीन वर्ष का कार्य अनुभव के साक्ष्य हेतु संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें	**संलग्न है अथवा नहीं है** .... **कार्यालय का नाम एवं सेवा प्रदान करने की अवधि का उल्लेख करें** 1... .... 2 .... 3 ....
12. **निविदा आवेदन एवं प्रपत्र शुल्क** जमा करने का विवरण (वापसी योग्य नहीं)	**राशि रू. 5000/- का** कुलसचिव संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर **के नाम से देय डीडी क्र** .... **दिनांक** .... **बैंक एवं शाखा का नाम** .... **IFSC** ....
13. अमानत राशि जमा करने का विवरण (वापसी योग्य)	**राशि रू. 50,000/- का** कुलसचिव संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर **के नाम से देय डीडी क्र**........................... **दिनांक** .... **बैंक एवं शाखा का नाम** .... **IFSC** ....
14. क्या निविदाकर्ता ने इस निविदा के सभी नियम एवं शर्तो को पढ़ और भलीभांति समझ लिया है और क्या उन्हें सभी नियम एवं शर्ते मान्य है	हाँ अथवा नहीं ....

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर
फर्म का नाम एवं सील

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में साफ़-सफाई/हाउस कीपिंग कार्य हेतु निविदा – नियम एवं शर्ते

निविदा की पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्ड:-

1. निविदाकार फर्म को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम मण्डल/निकाय/ सार्वजनिक संस्थानों में साफ-सफाई तथा रख-रखाव कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। निविदाकार फर्म को अनुभव प्रमाण पत्र, लेबर लाइसेंस, EPF, ESIC, PAN नंबर, GST नंबर, विगत तीन वित्तीय वर्ष का ITR, सी.ए. द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक पंजीयन/दस्तोवजों की स्वप्रमाणित प्रति मूल निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा और टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना होगा।
2. निविदाकार फर्म को निविदापत्र/भावपत्र आवेदन शुल्क रू. 5000/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 50,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) का कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट, जो मान्य हो, जमा करना होगा। बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना होगा।
3. निविदा प्रपत्र संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर की वेबसाईट / पोर्टल www.sggcg.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के नियम, शर्तो या प्रपत्र आदि में किसी प्रकार का संशोधन होने पर समाचार पत्रों में सूचना जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।
4. चयनित फर्म को संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में उपलब्ध कराए गए सफाई कर्मी के वेतन भुगतान की सुरक्षा के रूप में अनुबंध निष्पादन करने से पूर्व राशि र 20.00 लाख का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक गारंटी संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में जमा करना होगा। बैंक गारंटी की वैधता तिथि अनुबंध अवधि तक बनाए रखने की जिम्मेदारी चयनित फर्म या निविदाकर्ता की होगी।
5. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में साफ-सफाई (हाउसकीपिंग) कार्य से संबंधित कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। साक्ष्य हेतु संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संबंधित शासकीय/अर्द्धश्शासकीय कार्यालयों से जारी कार्यादेश एवं निष्पादित अनुबंध की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें.
6. वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 में साफ-सफाई (हाउसकीपिंग) कार्य संबंधी वार्षिक टर्नओवर कम से कम रू. 25.00 लाख होने का चार्टेड एकाउंटेन्ट से सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और स्वप्रमाणित प्रति टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना होगा। प्रमाण-पत्र में साफ-सफाई (हाउसकीपिंग) कार्य के टर्न ओव्हर का उल्लेख होना अनिवार्य है। अन्य कार्य का टर्न ओवर मान्य नहीं किया जायेगा.
7. निविदाकर्ता फर्म का Employees Provident Fund, ई.एस.आई.सी., लेबर एक्ट आदि के अन्तर्गत वैध पंजीयन होना अनिवार्य है। उक्त पंजीयन प्रमाण-पत्रों की प्रति टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना होगा।
8. वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 के लिए जमा आयकर रिटर्न ITR (Income Tax Return) की स्वप्रमाणित प्रति टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना होगा।
9. वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 के लिए Employees Provident Fund, ई.एस.आई.सी. की जमा पावती की प्रतियां एवं अंतिम माह का ECR चालान की स्वप्रमाणित प्रति टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना होगा।
10. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के सभी परिसर एवं ग्राम भकुरा स्थित नवीन परिसर के समस्त भवनों, कार्यालय भवन (संलग्न अनुसूची-1 अनसुार) की सम्पूर्ण सफाई के अंतर्गत समस्त कमरों, हाल, बरामदा, टायलेट, बाथरूम/वाशरूम, वाशबेसिन, मूत्रालय, दरवाजे, खिड़कियां, वेन्टीलेटर, ग्रील्स, पार्टीशन, सीलिंग, फर्नीचर, आलमारियां, रैक, पंखे सहित अन्य उपकरण, ऑडिटोरियम सहित कार्यालय के चारों ओर का बाहरी क्षेत्र भी शामिल माना जायेगा एवं उक्तानुसार आंकलन कर सफाई कर्मी एवं सुपरवाइजर का पारिश्रमिक, सफाई सामग्री एवं उपकरण (मशीन) सहित दर प्रस्तुत करना होगा।

11. सफाई कार्य के अंतर्गत झाड़ू, पोछा, धुलाई, डस्टिंग, जाला, दाग धब्बों की सफाई, ग्लास की सफाई, पंखे, कुर्सी-टेबल एवं अन्य आवश्यक साफ-सफाई इत्यादि करना होगा। सफाई में उपयोग होने वाले सामग्री उच्च क्वालिटी के सामग्री का इस्तेमाल किया जाना होगा एवं नियत समय में प्रतिदिन सम्पूर्ण साफ-सफाई सुनिश्चित करना होगा।

12. समस्त पुरूष सफाई कर्मियों को गहरे नीले रंग की फुल पैंट व हाफ शर्ट (जिसमें सफाई कर्मी का नाम लिखा हो या नाम का बैज लगा हो) तथा महिला सफाई कर्मियों को गहरे नीले रंग की साड़ी एवं ब्लाउज/सलवार-सूट (जिसमें सफाई कर्मी का नाम लिखा हो या नाम का बैज लगा हो) में आना होगा। सफाई कर्मियों को समय-समय पर जूते, ग्लव्स, ड्रेस की व्यवस्था निविदाकार फर्म को स्वयं के व्यय पर करना होगा। सभी सफाई कर्मी की ड्रेस में सफाई कर्मी अंकित हो, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिये।

13. निविदाकर्ता फर्म को विश्वविद्यालय के परिसर एवं भवनों, कार्यालय में, कमरों आदि में पर्याप्त डस्ट बिन (सूखा, गीला कचरा के लिए पृथक-पृथक) व्यवस्था करना होगा. डस्ट बिन गदे होने पर सफाई कर्मियों को डस्ट बिन की नियमित सफाई करना होगा. डस्ट बिन टूट जाने या खराब होने पर बदलकर नया डस्ट बिन रखना होगा.

14. विश्वविद्यालय के परिसर एवं भवनो, कार्यालय मे, कमरों आदि में सफाई के लिए पर्याप्त मात्रा में सफाई सामग्री, उपकरण (मशीन), दुर्गन्धनाशक, कीटनाशक, एसिड, परफ्यूम, डिसइन्फेक्टेड सामग्री इत्यादि निविदाकार फर्म को स्वयं व्यवस्था करना होगा। समस्त सामग्री उच्च गुणवत्तायुक्त मानक स्तर की (ब्रांडेड) होनी चाहिए।

15. विश्वविद्यालय के परिसर एवं भवनों, कार्यालय मे, कमरों से निकलने वाले कचरें, कूड़ा करकट, मलमा इत्यादि को नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर या ग्राम पंचायत – भकुरा, तहसील अम्बिकापुर, जिला - सरगुजा द्वारा निर्धारित क्षेत्र/कन्टेनर में प्रतिदिन डालना होगा।

16. विश्वविद्यालय के परिसर एवं भवनों, कार्यालय में, कमरों आदि में साफ़-सफाई कार्य के दौरान या बाद में किसी भी सफाई कर्मचारी की दुर्घटना या शारीरिक क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मदेरी निविदाकार फर्म की होगी।

17. निविदा में न्यूनतम दर वाले फर्म को दर में निगोशिएशन के लिए आमंत्रित किया जायेगा, तत्पश्चात सहमत होने पर कार्यादेश के साथ-साथ अनुबंध किया जाएगा। न्यनूतम वित्तीय दर दो या दो से अधिक फर्मो की समान होने की स्थिति में टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में साफ़-सफाई (हाउसकीपिंग) संबंधी कार्य की अधिक अनुभवी फर्म से न्यूनतम दर पर सेवा देने के लिए सहमत होने पर कार्यादेश के साथ-साथ अनुबंध किया जाएगा।

18. विश्वविद्यालय के परिसर एवं भवनों, कार्यालय मे, कमरों आदि में प्रतिदिन कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे तक (प्रातः: 07.00 बजे से 10.00 बजे तक) संपूर्ण सफाई का कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कार्यालयीन समय में आवश्यकतानुसार साफ-सफाई सुनिश्चित करना होगा। प्रतिदिन कम से कम 2 बार सफाई किया जाना अनिवार्य होगा। अवकाश के दिनो में बरामदे की धुलाई, जाला, कचरा, मलमा इत्यादि की सफाई करना होगा। साथ ही बाथरूम में उपयोग हो रहे टावेल, परदे, टेबल एवं अधिकारियों की कुर्सी में लगे टावेल, सोफे, फर्नीचर व अन्य पर लगे कपड़े की नियमित रूप से धुलाई करना होगा। कपड़ो की सफाई के लिए वाशिंग मशीन की व्यवस्था अनुबंध निष्पादित करने वाले निविदाकार फर्म को करना होगा।

19. अनुबंध निष्पादित करने वाले निविदाकार फर्म को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय समय पर जारी नियमों, निर्देशों, आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा, जिसमें प्रचलित लेबर एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि, आयकर अधिनियम, दुर्घटना बीमा नियम सहित अन्य संबंधित समस्त वैधानिक नियमों का पालन एवं उसके अनुरूप सफाई कर्मियों, सुपरवाइजर आदि को प्रतिमाह ऑनलाइन या बैंक के माध्यम से भुगतान करना होगा। सफाई कर्मियों, सुपरवाइजर आदि के ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., जी.एस.टी. आदि समस्त वैधानिक देय राशि का भुगतान नियत समय के अंदर करना अनिवार्य होगा।

20. सफाई कर्मियों, सुपरवाइजर आदि को भुगतान करने और ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., जी.एस.टी. आदि की राशि जमा करने पश्चात् प्राप्त पावती/ई.सी.आर. चालान की प्रतियां प्रतिमाह संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद ही देयकों का भुगतान किया जाएगा।

21. सफाई के कार्य में लगाये जाने वाले सफाई कर्मियों, सुपरवाइजर आदि की फोटो सहित नाम, वर्तमान एवं स्थाई पता इत्यादि की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप/प्रपत्र में निविदाकार फर्म को समय-समय पर देना होगा एवं चरित्र सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन संबंधी प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में जमा करना होगा। 21 वर्ष से कम आयु के और 55 वर्ष से अधिक आयु के महिला एवं पुरुष को निविदाकार फर्म द्वारा विश्वविद्यालय में सफाई कार्य में नियोजित नहीं किया जायेगा। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में निविदाकार फर्म द्वारा विश्वविद्यालय में सफाई कार्य में नियोजित कर्मियों के सुरक्षा की जिम्मेदारी संबधित फर्म की होगी।

22. सफाई कार्य का अधिकरियों के द्वारा समय-समय पर निरीक्षण के दौरान या बाद में दिये गये निर्देशों का पालन करना निविदाकार फर्म और उसके सफाई कर्मियो के लिए अनिवार्य होगा।

23. निविदाकार फर्म द्वारा विश्वविद्यालय में रखे गये सफाई कर्मियों के द्वारा गुणवत्तापूर्वक साफ-सफाई नहीं करने पर या सुपरवाइजर द्वारा सफाई कार्य का नियमित मॉनिटरिंग नहीं करने पर अथवा कुलसचिव के समक्ष किसी भी सफाई कर्मचारी/सुपरवाइजर के संबध में सफाई कार्य को लेकर शिकायत आने या निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की कार्य में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में रू. 500/- (पांच सौ रू. मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड किया जावेगा, जिसकी कटौती निविदाकार फर्म को प्रतिमाह भुगतान किये जाने वाले देयक में से की जावेगी।

24. निविदाकार फर्म द्वारा सफाई कार्य के लिए रखे गये सफाई कर्मियों एवं सुपरवाइजर को अनुशासन में रह कर कार्य करना होगा तथा वे संपूर्ण कार्यालय, भवन, परिसर आदि की सफाई के दौरान कक्षों या बाहर रखे अभिलेखों व उपकरणों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यदि किसी अभिलेख या उपकरण को क्षति पहुँचाना पाया गया तो हानि की वसूली निविदाकार फर्म से की जाएगी तथा आवश्यक होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

25. किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्यालय में, भवन में, परिसर में किसी भी प्रकार का नशा सेवन, धूम्रपान, मद्यपान आदि नहीं करेगा। ऐसा करते हुए पाए जाने पर निविदाकार फर्म को संबंधित सफाई कर्मी एवं सुपरवाइजर को कार्य से पृथक करना होगा।

26. निविदा हेतु एक बड़ा लिफ़ाफ़ा में टेक्नीकल बिड एवं एक पृथक छोटे लिफाफे में फाइनेंसियल बिड प्रस्तुत करें। टेक्नीकल बिड तथा फाइनेंसियल बिड पृथक-पृथक लिफाफा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

27. टेक्नीकल बिड लिफाफा में निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार वांछित दस्तावेज भरकर लिफाफे के ऊपर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में साफ़-सफाई (हाउस कीपिंग) कार्य हेतु निविदा क्रमांक .... दिनांक .... के लिए टेक्नीकल बिड लिखना होगा और सीलबंद कर निविदाकार फर्म का हस्ताक्षर एवं सील लगाना होगा।

28. इसी प्रकार, फाइनेंसियल बिड लिफाफा में निर्धारित प्रारुप में राशि भरकर प्रस्तुत करना होगा एवं लिफाफा के ऊपर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में साफ़-सफाई (हाउस कीपिंग) कार्य हेतु निविदा क्रमांक .... दिनांक .... के लिए फाइनेंसियल बिड लिखना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे (लैमिनेटेड/वाटर रेसिस्टेंट) में भरकर निविदाकर्ता को अपना नाम एवं पता, जिला, पिन कोड, दूरभाष नंबर आदि लिखकर और लिफाफा के ऊपर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में साफ़-सफाई (हाउस कीपिंग) कार्य हेतु निविदा क्रमांक .... दिनांक .... के लिए निविदा प्रपत्र एवं दस्तावेज (टेक्नीकल बिड एवं फाइनेंसियल बिड लिखना अनिवार्य होगा) जिसे निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट से प्रेषित करना होगा :-

प्रति,

कुलसचिवं,
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा
ऑडिटोरियम भवन, ग्राम – भकुरा,
तहसील – अम्बिकापुर, जिला – सरगुजा,
छत्तीसगढ़, पिन कोड 497001

29. निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के परिसर एवं भवनों का, कार्यालय के सभी कमरे, हॉल, ऑडिटोरियम, टायलट एवं बाथरूम, पार्किंग स्थल आदि का भौतिक अवलोकन अवशय कर लें एवं निरीक्षण पश्चात निविदा के नियम/शर्तो के अनुसार फाइनेंसियल बिड में दर प्रस्तुत करना होगा।

30. विश्वविद्यालय के भवनों के शौचालयों की सफाई में उच्चगुणवत्ता की लिक्विड, सोप, फिनाईल, हैण्ड वाश, एयर फ्रेशनर, टॉयलेट क्लीनर, ब्रश, स्क्रब, पेपर रोल के प्रयोग के साथ उच्च गुणवत्ता की डिसइंफेक्टटेड लिक्विड का प्रयोग किया जाना होगा, शौचालयों की सफाई प्रति 2-3 घंटे के अंतराल में करनी होगी। महिला शौचालयों, गर्ल्स कामन रूम, महिला स्टाफ रूम, महिला अधिकारी कक्ष एवं टॉयलेट/वाशरूम की सफाई हेतु महिला सफाई कर्मी रखना अनिवार्य होगा।

31. विश्वविद्यालय के भवनों के ऑडिटोरियम, सभा कक्ष और जिन कक्षों में कारपेट लगा हुआ है, वहां वैक्यूम क्लीनर एवं शैम्पू से समय-समय पर सफाई किया जाना होगा।

32. विश्वविद्यालय के भवनों के कक्ष, बरामदे, छत, आंगन, शौचालयों, रेलिंग, गलियारो, सीढ़ियों, समस्त खुले परिसर सहित की साफ-सफाई प्रतिदिन दो बार करना होगा तथा दवाजे, खिड़कियों से धूल-जाले तथा दाग-धब्बे भी हटाना होगा।

33. फर्मों को अब तक उनके द्वारा देय ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातो में जमा करने, कोई देय राशि बकाया न होने, एव किसी भी विभाग/संस्था में ब्लैक लिस्टेड न होने के संबंध में निर्धारित प्रारूप में रू. 50/- मात्र के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

34. साफ-सफाई (हाउस कीपिंग) कार्य के लिए कार्य की अवधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष अवधि के लिए होगी। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर अनुबंध अवधि में निविदा के नियम एवं शर्तो के तहत प्राप्त न्यूनतम दर पर एक बार में छः माह और अधिकतम तीन वर्ष तक वृद्धि करने का अधिकार कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के पास सुरक्षित रहेगा।

35. निविदाकार फर्म अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि इस बीच निविदाकार फर्म द्वारा बीच में कार्य छोड़ा गया तो जमा अमानत राशि एवं बैंक गारंटी जप्त करने का अधिकार कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर का होगा एवं पुनः निविदा करने में जो लागत कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर को होगी, उसकी क्षतिपूर्ति निविदाकार फर्म से की जाएगी।

36. निविदा स्वीकार, अस्वीकार करने या किसी भी समय निविदा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय,सरगुजा अम्बिकापुर को होगा तथा इसके विरूद्ध किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और न ही कोई आपत्ति मान्य होगी।

37. निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार फर्म को राशि रू. 100/- के स्टाम्प पेपर (गैर-न्यायिक) पर कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।

38. उपरोक्त शर्तो के अनुसार फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर किसी भी समय अथवा अनुबंध अवधि पूर्ण होने के पूर्व अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

39. किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला कुलपति, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। इस निविदा के नियम, शर्तो के संबंध में समस्त न्यायालयीन वाद अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ में ही मान्य होगा।

40. निविदा जमा करने का आशय यह होगा कि उपरोक्त सभी शर्तें निविदाकार फर्म को मान्य हैं।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में
साफ़-सफाई/हाउस कीपिंग कार्य हेतु निविदा
अनुसूची – 1

1. ग्राम भकुरा, तहसील अम्बिकापुर स्थित नवीन परिसर में स्थित विश्वविद्यालय के समस्त भवन एवं ऑडिटोरियम, कुलपति एवं कुलसचिव निवास, कर्मचारी आवास, कार्यालय, यूटिलिटी भवन, प्रशासनिक भवन, टॉयलेट्स आदि.
2. अम्बिकापुर शहर के दर्रीपारा क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय के कार्यालय, सभाकक्ष एवं शिक्षण विभाग, कार्यालय, टॉयलेट्स आदि.
3. अम्बिकापुर शहर के दर्रीपारा क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षण विभाग, कार्यालय, टॉयलेट्स आदि.

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में
साफ़-सफाई/हाउस कीपिंग कार्य हेतु निविदा
फाइनेंसियल बिड

क्र.		विवरण (फर्म को शासन के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, लेबर एक्ट, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., दुर्घटना बीमा आदि समस्त प्रावधानों का पालन करना होगा)	मासिक दर (रुपये)
1	A	संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के समस्त परिसर, भवन एवं कार्यालय के अनुसूची-1 अनुसार सभी फ्लोर, कक्षों, टायलेट एवं अन्य समस्त जगहों की निविदा के नियम एवं शर्तें अनुसार प्रतिमाह गुणवत्तापूर्वक साफ-सफाई कार्य हेतु सफाई सामग्री, उपकरण व अन्य व्यय सहित आकलन कर एकमुश्त दर (जीएसटी अतिरिक्त देय होगा)	
2	A	एक सफाई कर्मी का पारिश्रमिक (प्रतिमाह) रुपये (श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन या कलेक्टर, जिला – सरगुजा, अम्बिकापुर के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रचलित न्यूनतम मजदूरी से कम राशि अंकित करने पर निविदा अमान्य कर दिया जायेगा)	
	B	ई.पी.एफ. राशि (प्रति सफाई कर्मी प्रतिमाह) रुपये	
	C	ई.एस.आई.सी. राशि (प्रति सफाई कर्मी प्रतिमाह) रुपये	
	D	जी.एस.टी. राशि (प्रति सफाई कर्मी प्रतिमाह) रुपये	
3	A	एक सफाई सुपरवाइजर का पारिश्रमिक (प्रतिमाह) रुपये (श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन या कलेक्टर, जिला – सरगुजा, अम्बिकापुर के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रचलित न्यूनतम पारिश्रमिक से कम राशि अंकित करने पर निविदा अमान्य कर दिया जायेगा)	
	B	ई.पी.एफ. राशि (प्रति सफाई सुपरवाइजर कर्मी प्रतिमाह) रुपये	
	C	ई.एस.आई.सी. राशि (प्रति सफाई सुपरवाइजर कर्मी प्रतिमाह) रुपये	
	D	जी.एस.टी. राशि (प्रति सफाई सुपरवाइजर कर्मी प्रतिमाह) रुपये	
4		कुल राशि (1+2+3) = शब्दों में .... रुपये मात्र	

अभिवचन:-

(1) सफाई कर्मियों को फर्म की ओर से सफाई सामग्री, उपकरण (मशीन) एवं वर्दी उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के समस्त परिसर, भवन एवं कार्यालय संलग्न अनुसूची-1 अनुसार आदि का भौतिक अवलोकन पश्चात प्रतिदिन साफ-सफाई कार्य को ध्यान में रखते निविदा के नियम एवं शर्तो का अवलाकेन पश्चात् सामग्री व अन्य समस्त व्यय सहित एकमुश्त दर प्रस्तुत की जा रही है। निविदा में उल्लेखित उच्च गुणवत्ता की साफ-सफाई सामग्रियों से कार्य संपादन किया जाएगा एवं फर्म द्वारा सामग्री की कमी या कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

स्थान ....

दिनांक ..../ ..../ 20 ......

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर
फर्म का नाम एवं सील

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में साफ़-सफाई/हाउस कीपिंग कार्य हेतु निविदा

(रू. 50/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्ततु करना होगा)

शपथ-पत्र

मैं .... संस्था प्रमुख निवासी .... निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म/एजेंसी द्वारा देय ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. एवं समस्त अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खाता में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है एवं मेरे फर्म/एजेंसी को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर को होगा। इस बारे मे मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी. मुझे विश्वविद्यालय के द्वारा इस निविदा में उल्लेखित समस्त नियम एवं शर्तें स्वीकार है। यह कि हमारी संस्था किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

स्थान ....

दिनांक .... / ..../ 20 ......

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

फर्म का नाम एवं सील

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में
साफ़-सफाई/हाउस कीपिंग कार्य हेतु निविदा

चेकलिस्ट

टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेजों की सूची
(निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जाने वाली सभी दस्तावजे निम्नानुसार क्रम मं संलग्न होना अनिवार्य है)

1. **निविदा आवेदन एवं प्रपत्र शुल्क राशि रू. 5000/- का** कुलसचिव संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर **के नाम से देय डीडी क्र............................ दिनांक .... बैंक एवं शाखा का नाम .... IFSC .... (संलग्नक क्रमांक ....)**
2. **अमानत राशि रू. 50,000/- का** कुलसचिव संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर **के नाम से देय डीडी क्र............................ दिनांक .... बैंक एवं शाखा का नाम .... IFSC .... (संलग्नक क्रमांक ....)**
3. फर्म के नाम से या निविदाकर्ता के PAN/e-PAN कार्ड की की स्वप्रमाणित प्रति (संलग्नक क्रमांक ....)
4. GST पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (संलग्नक क्रमांक ....)
5. वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 में GST फाइलिंग संबंधी दस्तावेज की प्रति (संलग्नक क्रमांक ....)
6. EPF प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (संलग्नक क्रमांक ....)
7. वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की EPF भुगतान पावती एवं निविदा प्रपत्र जमा करने तक अंतिम एक माह की ECR चालान की प्रतियां (संलग्नक क्रमांक ....)
8. ESIC पंजीयन की स्वप्रमाणित प्रति (संलग्नक क्रमांक ....)
9. वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की ESIC भुगतान पावती निविदा प्रपत्र जमा करने तक अंतिम एक माह की ECR चालान की प्रतियां (संलग्नक क्रमांक ....)
10. लेबर एक्ट के तहत जीवित पंजीयन (लेबर लायसेंस) की प्रति (संलग्नक क्रमांक ....)
11. वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 के ITR Acknowledgement की प्रति। (संलग्नक क्रमांक ....)
12. वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 का सी.ए. से सत्यापित कम से कम रू. 25 लाख का वार्षिक टर्न ओव्हर प्रमाण-पत्र। टर्न ओव्हर प्रमाण-पत्र में हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) कार्य के टर्न ओव्हर का उल्लेख होना अनिवार्य है। अन्य कार्य हेतु टर्नओव्हर को मान्य नहीं किया जाएगा। (संलग्नक क्रमांक ....)
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) संबंधी कार्य अनुभव के साक्ष्य हेतु संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र एवं संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करना है। (संलग्नक क्रमांक ....)

क्र.	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का नाम एवं पता, पिन कोड सहित अनुबंधकर्ता प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम	सेवा अवधि
1		दिनांक .... से ....तक कुल .... वर्ष .... माह .... दिन
2		दिनांक .... से ....तक कुल .... वर्ष .... माह .... दिन
3		दिनांक .... से ....तक कुल .... वर्ष .... माह .... दिन

13. निर्धारित प्रारूप में रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र की मूल प्रति।

उपरोक्त क्रम में ही दस्तावेजों को टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत करना होगा एवं वांछित दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना है।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर में
साफ़-सफाई/हाउस कीपिंग कार्य हेतु सेवा अनुबंध प्रारूप

कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर (पक्ष क्रमांक 01) एवं मेसर्स .... (पक्ष क्रमांक 02) द्वारा संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के समस्त परिसर, भवन एवं कार्यालय के अनुसूची-1 अनुसार की साफ-सफाई कार्य हेतु दिनांक ...... / ..... /......... से दिनांक .... / .... /.......... तक के लिए दोनों पक्षों की सहमति से निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुबंध किया जाता है:-

1. यह कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के समस्त परिसर, अनुसूची-1 अनुसार भवन एवं कार्यालय के हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) हेतु आवश्यक सामग्री के साथ साफ-सफाई कार्य मेसर्स/निविदाकर्ता फर्म .... (पक्ष क्रमांक 02) द्वारा निविदा क्रमांक .... दिनांक .... के नियम एवं शर्तों के तहत किया जाएगा।
2. यह कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर के समस्त परिसर एवं भवनों, कार्यालय भवन की सम्पूर्ण सफाई के अंतर्गत भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, छत, तहखाना टॉयलेट, बाथरूम, समस्त कमरों, हाल, बरामदा, वाशबेसिन, मूत्रालय, दरवाजे, खिड़कियां, वेन्टीलेटर, ग्रील्स, पार्टीशन सीलिंग, फर्नीचर, आलमारियां, रैक, पंखे सहित अन्य उपकरण, ऑडिटोरियम सहित कार्यालय के चारों ओर का बाहरी क्षेत्र की नियमित साफ-सफाई का कार्य पक्ष क्रमांक 02 द्वारा स्वयं के साफ-सफाई सामग्री, उपकरण/मशीन एवं सफाई कर्मियों से कार्य संपादन किया जाएगा।
3. यह कि सफाई कार्य के अंतर्गत झाडू, पोछा, धुलाई, डस्टिंग, जाला, दाग धब्बों की सफाई, ग्लास की सफाई, पंखे, कुर्सी-टेबल, खिड़की, दरवाजे, कूलर, पंखे, ए.सी., टी.व्ही, फ्रीज, मशीन, उपकरण, कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन एवं अन्य की साफ-सफाई का कार्य पक्ष क्रमांक 02 को करना होगा। इलेक्ट्रोनिक सामग्री की साफ़-सफाई के दौरान कर्मियों को विशेष सावधानी बरतना होगा और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार सफाई करना होगा, जिससे किसी प्रकार का नुकसान न हो. सफाई में उच्च क्वालिटी के सामग्री का इस्तेमाल किया जाना होगा।
4. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को समस्त पुरूष सफाई कर्मियों को गहरे नीले रंग की फुल पैंट व हाफ शर्ट, जिसमें सफाई कर्मी का नाम लिखा हो या नाम का बैज लगा हो तथा महिला सफाई कर्मियों को गहरे नीले रंग की साड़ी एवं ब्लाउज/सलवार-सूट, जिसमें सफाई कर्मी का नाम लिखा हो या नाम का बैज लगा हो, स्वयं के व्यय पर व्यवस्था करना होगा।
5. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को सभी तरह की सफाई के लिए उपकरणए दुर्गन्धनाशकए कीटनाशकए एसिडए परफ्यूमए डिशइंफेक्टेड सामग्री इत्यादि सामग्री स्वयं के व्यय पर व्यवस्था करना होगा।
6. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को कार्यालय परिसर से निकलने वाले कचरेंए कूड़ा करकटए मलमा इत्यादि को नगर पालिक निगमए अम्बिकापुर या ग्राम पंचायत दृ भकुराए तहसील अम्बिकापुरए जिला दृ सरगुजा द्वारा निर्धारित क्षेत्र/कन्टेनर में प्रतिदिन डालना होगा
7. यह कि सफाई कर्मचारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पक्ष क्रमांक 02 की होगी। पक्ष क्रमांक 02 को सफाई कर्मियों के सुरक्षा का समुचित इंतजाम करना होगा।
8. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा प्रत्येक दिवस प्रातः 10 बजे तक (सुबह 07.00 से 10.00 तक) सफाई का कार्य पूर्ण किया जाना होगा। तदुपरांत अपरान्ह 05.00 बजे तक पुनः सफाई का कार्य सम्पादित करना होगा, इसके अलावा कार्यालयीन समय में आवश्यकतानुसार साफ-सफाई सुनिश्चित करना होगा। अवकाश के दिनों में कार्यालय की धुलाई, जाला, कचरा, मलमा इत्यादि की सफाई करना होगा।

9. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय-समय पर जारी नियमों, निर्देशों, आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा, जिसमें प्रचलित लेबर एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि, आयकर अधिनियम, दुर्घटना बीमा नियम सहित अन्य संबंधित समस्त नियमों का पालन एवं उसके अनुरूप अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा। कर्मचारियों के ईपीएफ, ईएसआईसी अन्य वैधानिक देय राशि का भुगतान नियत समय के अंदर करना अनिवार्य होगा । भुगतान पश्चात साक्ष्य/ईसीआर चालान की प्रतियां प्रतिमाह विश्वविद्यालय कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। उसके बाद ही आगामी माह के देयकों का भुगतान किया जाएगा।

10. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को सफाई के कार्य में लगाये जाने वाले समस्त कर्मचारियों की फोटो सहित नाम, वर्तमान एवं स्थाई पता, संपर्क नबं र इत्यादि एवं चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से पक्ष क्रमांक 01 के कार्यालय में जमा करना होगा। पुलिस एवं मेडिकल वेरिफिकेशन, चरित्र सत्यापन आदि के उत्तरदायी चयनित फर्म की होगी। विश्वविद्यालय मे फर्म द्वारा साफ़ सफाई कार्य में लगाये गये कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।

11. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को सफाई कार्य का निरीक्षण के दौरान एवं उपरांत दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उचित साफ-सफाई न होने पर अथवा किसी अधिकारी की शिकायत आने या निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में रू. 500/- (पांच सौ रू. मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड किया जावेगा, जिसकी कटौती भुगतान किये जाने वाले देयक में से की जावेगी।

12. यह कि पक्ष क्रमांक 02 के सफाई कर्मचारियों को अनुशासन में रह कर कार्य करना होगा तथा वे संपूर्ण कार्यालय की सफाई के दौरान कक्षों या बाहर रखे अभिलेखों व उपकरणों से छेड़छाड़ नही करेंगे। यदि किसी अभिलेख या उपकरण को क्षति पहुँचाना पाया गया तो हानि की वसूली पक्ष क्रमांक 02 से की जावेगी तथा आवश्यक होने पर वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

13. यह कि कार्य संतोषजनक पाए जाने पर साफ-सफाई सेवा अनुबंध अवधि में वृद्धि करने का अधिकार पक्ष क्रमांक 01 के पास सुरक्षित रहेगा। यह कि पक्ष क्रमांक 02 अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि इस बीच पक्ष क्रमांक 02 द्वारा बीच में कार्य छोड़ा जाता है तो पक्ष क्रमांक 02 द्वारा जमा अमानत राशि को राजसात कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार पक्ष क्रमांक 01 के पास सुरक्षित होगा।

14. यह कि उपरोक्त शर्तो के अनुसार पक्ष क्रमांक 02 का कार्य संतोषजनक न होने पर पक्ष क्रमांक 01 को अनुबंध समाप्त कर धरोहर राशि राजसात करने का अधिकार होगा।

15. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को शौचालयों की सफाई में उच्चगुणवत्ता की लिक्विड सोप, फिनाईल गोलियां, फ्रेशनर, टॉयलेट पेपर रोल के प्रयोग के साथ उच्च गुणवत्ता की डिश इंफेक्टेड लिक्विड का प्रयागे किया जाना होगा, शौचालयो की सफाई प्रत्येक दिवस में कम से कम दो बार के अंतराल में करना होगा। आवश्यकतानुसार समय-समय पर निर्देशानुसार सफाई कार्य सफाई कर्मियों को करना होगा.

16. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को अनुसूची-1 अनुसार विश्वविद्यालय के समस्त भवन एवं कार्यालय के महिला वाशरूम, टॉयलेट, गर्ल्स कामन रूम, महिला स्टाफ रूम में साफ़-सफाई कार्य करने के लिए पर्याप्त महिला सफाई कर्मी पक्ष क्रमांक 02 को रखना होगा एवं व्यवस्था करना होगा.

17. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को सभा कक्ष, ऑडिटोरियम, अन्य कक्ष जिनमें कारपेट लगा हुआ है, वहां वैक्यूम क्लीनर एवं शैम्पू से सफाई किया जाना होगा। भवनों के सभी कक्ष, बरामदे, छत, आंगन, शौचालयों, रेलिंग, गलियारों, सीढ़ियों, समस्त खुले परिसर सहित की साफ-सफाई प्रतिदिन दो बार करना होगा तथा दरवाजे, खिड़कियों से धूल-जाले तथा अन्य दाग-धब्बे को भी हटाना होगा।

18. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआईसी, लेबर एक्ट एवं नियम और अन्य समस्त वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा एवं प्रतिमाह देय राशि नियत समय में जमा कर साक्ष्य/ईसीआर चालान की प्रतियां पक्ष क्रमांक 01 को उपलब्ध कराना होगा। भुगतान की पावती उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी माह के दये क का भुगतान पक्ष क्रमांक 01 द्वारा किया जाएगा।

19. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा उपलब्ध कराए गए महिला कर्मियों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित संवैधानिक दायित्वों का पालन करना होगा।

20. यह कि किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला कुलपति, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा अम्बिकापुर को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। व्यवहार में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।